न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

रजि० न० 2024/52

अपील संख्याः– 12/31/2024 रजू दिनांकः 11.03.2024

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री लोकेश कुमार तिवाड़ी, निवासी 1, बालाजी विहार 64, मछवा कलवाड रोड़, झोटवाडा, पि.न. 303706 जिला जयपुर (राज0)	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) ,अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 01.04.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉंछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 19.03.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्र क्रमांक लो0सू0अधि0/प्रथम अपील/2024/480 दिनांक 26.03.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रथम सूचना आवेदन दिनांक 23.06.2023 के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय द्वारा ऑनलाईन पत्र सं0 61571098394 दिनांक 29.12.2023 के माध्यम से किए गए विनिश्चय पर असंतोष व्यक्त किया है। उक्त के संबंध में सूचा आवेदन सं0 293146749198341 दिनांक 23.06.2023 के परिप्रेक्ष्य में संबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त कर तत्समय तक उपलब्ध/संधारित अभिलेख/पत्राचार प्रति से संसूचित किया जा चुका है, साथ ही इसी संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य प्रा0पत्र दिनांक 21.06.2023, जो इस कार्यालय को दिनांक 01.08.2023 को प्राप्त हुआ, के संबंध में भी पत्र सं0 2341 दिनांक 29.12.2023 के माध्यम से सूचित किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि वांछित सूचना के संबंध में विनिश्चय कर सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकारी अधि0 2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनश्चित करें, निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को पालनार्थ भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 01.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलेक्टर अलवर (राज0)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)